

न्यायालय - भूमि सुधार उप-समाहर्ता, खूँटी

दा० खा० अपील वाद सं०- 18/2020-21

प्रथम पक्ष

- उमा शंकर प्रसाद पिता भवानी साहू
ग्राम- तपकारा, थाना-तोरपा, जिला-खूँटी।

द्वितीय पक्ष

- अंचल अधिकारी, तोरपा।

की गई
कार्रवाई

आदेश

आदेश का क्रम
संख्या और
तारीख

25.01.21

अभिलेख आज उपस्थापित किया गया। अभिलेख एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों का अवलोकन किया।

आवेदक ने वर्तमान वाद दा० खा० वाद सं०-199R27/19-20 में अंचल अधिकारी, तोरपा द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.04.20 के विरुद्ध अपील दाखिल किया है जो निम्नवर्णित भूमि के दाखिल खारिज से संबंधित है:-


| मौजा | थाना/थाना नं० | खाता नं० | प्लॉट नं० | रकबा(एकड़ में) |
|-------|---------------|----------|-----------|----------------|
| बासकी | तोरपा 68 | 01 | 288 | 0.06 |

अपीलकर्ता के अपील आवेदन एवं अंचल अधिकारी, तोरपा के आदेश की अभिप्रमाणित प्रति को देखा आवेदक द्वारा विलम्ब से वाद दायर करने संबंधी U/S 5 of the Limitation Act के तहत आवेदन दाखिल किया गया। अपील संस्थित करने वो सुनवाई का पर्याप्त आधार पाते हुये उक्त दा० खा० अपील वाद को अंगीकार किया गया। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता कथन करते है कि आवेदक ने उक्त भूमि कमला देवी पति स्व० रामनरेश भगत ग्राम-तोरपा, थाना-तोरपा से रजिस्ट्री पट्टा सं० 1143/1123 दिनांक 30.07.2019 के द्वारा क्रय किया है।


अंचल अधिकारी, खूँटी के प्रतिवेदन अनुसार आवेदक के द्वारा 12 डीसमील जमीन नामांतरण करने का आवेदन दिया गया है। बिक्री पट्टा के अनुसार 6 डीसमील भूमि का क्रय किये जाने के कारण नामांतरण अस्वीकृत की गयी है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के बहस को सूना एवं पाया कि आवेदक द्वारा निबंधन पट्टा सं० 1143/1123 दिनांक 30.07.2019 के द्वारा मौजा बासकी थाना तोरपा के खाता सं० 01, प्लॉट सं० 288, रकबा 12 डी० मधे रकबा 06 डी० भूमि का क्रय किया है। आवेदक ने भूलवश रकबा 12 डी० भूमि का नामांतरण हेतु कर दिया है।

अतः अधिकारी, खूँटी को Remand निर्देश दिया जाता है कि आवेदक से पुनः नये शीरे से आवेदन प्राप्त करते हुए दाखिल-खारिज हेतु न्यायसंगत कार्रवाई की जाय।

लेखापित एवं संशोधित


25/01/21

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
खूँटी।


भूमि सुधार उप समाहर्ता,
खूँटी।